

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

FP/UK/ROAD/87107/2020

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7. परियोजना/ स्कीम का स्थान- वित्तीय वर्ष 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री घोषण संख्या 550/2019 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-87(109) में काठगोदाम से रानीबाग प्रभाग हेतु बाईपास मोटर मार्ग तथा 90 मीटर स्पान स्टील गर्डर मोटर पुल का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी)

- | | | |
|-------|--|---------------------------------|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | नैनीताल |
| iii) | वन प्रभाग | नैनीताल वन प्रभाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 2.73 है० |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | आरक्षित |
| vi) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०- 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए। | वृक्षों की सूची संलग्न है। |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की | वन सीमा के अन्तर्गत |
| x) | वन की सीमा की अनुमानित दूरी | |
| xi) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र को ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वर्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाय) | नहीं |
| xii) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं |
| xiii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं |

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। संलग्नक
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहे हैं। नहीं

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :-

- i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस- पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू- खण्ड का आकार।
- ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के समक्ष प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)

मल्ली दीनी, सिविल सोयम भूमि

संलग्नक।

संलग्नक।

रु0 397040.13

संलग्नक।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्नक।

12. प्रभाग/ जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
- ii) जिला का वन क्षेत्र।
- iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र
- iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

679400 है0

402040 है0

587 मामले 6925.22 है0 जिसमें सि0सो0/ व0प0 भी सम्मिलित है।

8415.26 है0

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर 2018 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

7906.49 है0

(ख) वनेत्तर भूमि पर

508.77

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित।

दिनांक 30/9/2021
स्थान नैनीताल

प्रभाग वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल